न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. :– 12/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/13

अपीलार्थीगण :–

1. शिवाराम पुत्र रावतराम
2. गुडीदेवी पत्नी श्रवणकुमार
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण ग्राम मेघवालों का बास, सुबदण्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. झमूदेवी पत्नी घेवरराम पुत्री हीराराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, बडलिया, तहसील झंवर, जिला जोधुपर ग्रामीण।
2. डूंगरराम पुत्र हीराराम
3. बीजाराम पुत्र हीराराम
4. राजो पत्नी हीराराम
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण मेघवालों का बास, सुबदण्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण।
5. सीमा पत्नी पारसराम पुत्री हीराराम, जाति मेघवाल, निवासी पडिहारों की ढाणी रोड़, धवा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर ग्रामीण।
6. मानाराम पुत्र रावतराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, सुबदण्ड, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील *अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश कमांक/एल/प्र.गा.सं/23/788 आदेश दिनांक 23.06.2023 तहसीलदार (भू.अ.), लूणी, प्रशासन गावो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत कैम्प सुबदण्ड में किया गया बंटवाडा के विरुद्ध अपील।*

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी (अपीलार्थीगण)।
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: **आदेश** :– दिनांक :– 03.02.2025

1. यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा, राजस्थान [illegible], 1955 की धारा 53 (2) के तहत पारित विभाजन आदेश क्रमांक [illegible]/PGK[illegible]3/788 दिनांक 23.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.[illegible]2024 को पेश की है तथा अपील के संलग्न अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत् प्रार्थना–पत्र शपथ पत्र सहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:10 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पेश भी किया है। अपीलान्ट्स अधिवक्ता की दिनांक 28.01.2025 को बहस सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

2. अपील के संक्षिप्त सारवान तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 तक ने ग्राम सुबदण्ड तहसील लूणी में अवस्थित अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 26/1 रकबा 3.7231 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26/2 रकबा 1.4973 हैक्टयर., खसरा नम्बर 41/3 रकबा 0.8498 हैक्टयर, कुल खसरान् तीन, कुल रकबा 6.702 हैक्टयर भूमि का आपसी सहमति से जरिये इकरारनामा विभाजन करने का एक लिखित प्रार्थना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53 (2) के तहत विभाजन करने का तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रशासन गांवों के संग शिविर–कैम्प सुबदण्ड में दिनांक 23.06.2023 को पेश कर निवेदन किया कि इकरारनामा में अंकित विभाजन प्रस्ताव अनुसार संयुक्त आराजी का विभाजन कर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया जावे। प्रस्ताव के संलग्न रूपये 500/– का गैर न्यायिक स्टाम्प व इकरारनामा में अंकित विवरण अनुसार नक्शे भी पेश किये। इकरारनामा व नक्शों पर अपीलान्ट व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 तक के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान लगाए हुए है तथा पक्षकारों की पहचान पटवारी हल्का सुबदण्ड द्वारा तहसीलदार के समक्ष की है तथा तहसीलदार, प्रस्ताव बाबत् पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से मौका व नक्शा की प्रमाणिकता बाबत् रिपोर्ट ली गई तथा इकरारनामा अनुसार जांच से सन्तुष्ट होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 से उक्त वर्णित आराजी का विभाजन आदेश पारित कर रिकॉर्ड में अमल–दरामद करने के आदेश पारित किये।

3. तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.06.2023 से व्यथित होकर शिवाराम व गुड्डी देवी ने यह अपील इस न्यायालय में 11 माह बाद इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2024 को इस आधार पर पेश की है कि बंटवाड़ा से पूर्व बंटवाड़ा की आराजी में उनका 1/5–1/5 हिस्सा था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम 1/3 हिस्सा गलत दर्ज किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का 2/5 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार अपीलान्ट को कम तथा प्रत्यर्थीगण को ज्यादा भूमि दी गई है, जो [illegible]द्ध होने से आदेश अपास्त योग्य है। गलत आदेश [illegible] 23.06.2023 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 743 दिनांक [illegible] हुआ है अतः गलत आदेश विभाजन दिनांक 23.06.2023 व 20.03.2[illegible] नामान्तरकरण आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

को अपास्त किया जावे तथा विभाजन पूर्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सो अनुसार बंटवाड़ा किया जावे।

4. अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 23.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2024 को लगभग 11 माह देरी से पेश की है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 अपीलान्ट्स की उपस्थिति में पारित किया गया है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 म्याद एक्ट के तहत प्रार्थना-पत्र में शपथ-पत्र पेश किया है। प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि आदेश दिनांक 23.06.2023 में अंकित कम रकबे की जानकारी उसे नहीं थी, जिसकी जानकारी पटवारी से नकल लेने पर हुई। वह गरीब किसान है अतः गुणावगुण के आधार पर प्रकरण को सुना जाकर न्याय किया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि अपीलान्ट्स अनुसूचित जाति का गरीब दूरस्थ गांव का किसान है, उन्हें रिकॉर्ड में दर्ज कम रकबे की जानकारी ऋण प्राप्त करते समय ही हुई है अतः देरी को माफ किया जावे।

हमने प्रार्थना-पत्र पर विचार किया चूंकि प्रकरण में विधिक प्रश्न अन्तर्विलित है, जिसका मेरिट पर निस्तारण करना हम न्यायोचित समझते है, अतः अपीलान्ट का देरी कन्डोन करने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने हेतु अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। जिन्होनें अपील मीमों में अंकित कथनों को ही दोहराया, जिसमें रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा से कम रकबा बंटवाड़ा में दिया जाना आक्षेपित किया।

5. रेस्पोडेन्ट्स पर नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन किया। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। हमारा विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार है :-

(1) ग्राम सुबदण्ड का खसरा नम्बर 26/1, 26/2, 41/3 कुल रकबा 6.0702 हैक्टयर में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 तक का 1/5 हिस्सा (अर्थात् 1.21404 हैक्टयर), प्रत्यर्थी संख्या 6 मानाराम का 2/5 हिस्सा (2.42808 हैक्टयर), अपीलान्ट शिवाराम का 1/5 हिस्सा (1.21404 हैक्टयर), अपीलान्ट गुड्डी का 1/5 हिस्सा (1.21404 हैक्टयर) जमाबन्दी में सहखातेदारों के रूप में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:10 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(2) अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2023 से आपसी सहमति के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के नाम रिकॉर्डेड हिस्सा–1/5 (1.21404 हैक्टयर) के बजाय 2.0234 हैक्टयर, प्रत्यर्थी संख्या 06 मानाराम के नाम पर 2/5 (2.42808 हैक्टयर) की जगह 2.0233 हैक्टयर, तथा अपीलान्ट शिवाराम को 1/5 हिस्सा (1.21404 हैक्टयर) के बजाय 1.1531 हैक्टयर, एवं अपीलान्ट गुड्डी देवी को 1/5 हिस्सा (1.21404 हैक्टयर) के बजाय मात्र 0.8702 हैक्टयर भूमि दी है अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को 0.80936 हैक्टयर अधिक भूमि दी है तथा प्रत्यर्थी संख्या 06 मानाराम को 0.40438 हैक्टयर कम दी है इस प्रकार अपीलान्ट शिवाराम को 0.0694 हैक्टयर कम दी है इसी प्रकार अपीलान्ट गुड्डी देवी को 0.34384 हैक्टयर भूमि बंटवाड़ा में कम दी है।

(3) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत आराजी के विभाजन बाबत् प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय 4ख के नियम–24 ड. में तथा राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में अध्याय 4 में नियम–18 से 21 तक में विहित की गई है।

नियम–18 सह–आसामियों के बीच हुए एग्रीमेन्ट के आधार पर तहसीलदार को विभाजन आदेश पारित करना होगा। उक्त नियमों के नियम 20 में जोतो के विभाजन के आधार पर दिए गए है, जिसमें से एक आधार यह भी है कि प्रत्येक पार्टी (सह आसामी) को आवंटित किए गए भाग का मूल्य (कीमत) उसी अनुपात में होगा जितना कि उसका हिस्सा कृषि भूमि में था।

उक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट हैं कि विभाजन से पूर्व जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही उसी अनुपात का रकबा प्रत्येक आसामी को दिया जाना आवश्यक नहीं है। मौके पर भूमि उबड़–खाबड़ हो सकती है या कुछ भूमि अन्य भूमि के मुकाबले अधिक उपजाऊ कम उपजाऊ हो सकती है, जिसके कारण उसकी (कीमत) मूल्य कम ज्यादा हो सकती है, जिसका समायोजन आराजी विभाजन के दौरान किया जाना अपेक्षित है।

उक्त विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए [illegible] कार राजस्व (ग्रुप–6) के पत्रांक–प–5(1) [illegible] 6/97 [illegible] दिनांक 08.09.97 से तहसीलदारों को यह निर्देश दिये है कि सहमति [illegible] आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में, राजस्व मण्डल द्वारा [illegible] नियम– नियम 18 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:10 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

परिप्रेक्ष्य में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नहीं लगायेंगे कि खाह कृषकों ने बंटवाड़े के समय अपना हिस्सा कम ज्यादा क्यों कर लिया।

(4) अतः अपीलान्ट्स का यह कथन कि अपीलाधीन बंटवाड़ा में अपीलान्ट्स की भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से से कम दी है तथा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है, मानने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह अपील पेश करने का अन्य कोई आधार अपील मीमो में अंकित नहीं है। अपीलान्ट्स स्वयं बंटवारा करना स्वीकार करते है जिसका राजस्व अभिलेखों में अमल–दरामद हो चुका है तथा मौके की स्थिति में भी बदलाव होना स्वाभाविक है। अपीलान्ट्स अपने स्वयं के कृत्यों एवं आचरण से मुकरने से विबंधित (Estopped) है। तहसीलदार ने इकरारनामा अनुसार ही विभाजन आदेश पारित कर रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार लूणी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है, फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना यह न्यायालय उचित नहीं मानता है तथा अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल रिकॉर्ड तहसीलदार लूणी को तुरन्त लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawaharlal Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:50:10 IST
Reason: SelfAttested